डिक्री

ायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

ं0न0 – 141/2023

वान : –

1. सुमित कुमार पुत्र सांवलाराम जाति सुथार निवासी छानीबड़ी त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. सांवलाराम पुत्र शिशपाल जाति सुथार निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा।
2. सन्दीप पुत्र सांवलाराम जाति सुथार निवासी छानीबड़ी त0 भादरा।
3. पूजा पुत्री सावंलाराम पत्नी अजयसिंह पुत्रवधु रामेश्वरलाल जाति सुथार निवासी छानीबड़ी हाल निवासी गुडिया त0 नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा। –

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष कील वादी श्री संदीप गोदारा व वकील प्रतिवादीगण श्री प्रभूराम गोदारा की परिस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया ाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 7 एएमएस के खाता सं0 123/109 ो कुल 4.1770है0 प्रतिवादी सं0 1 सावंलाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में न्हा प्रतिवादी सं0 1 सावंलाराम की बजाए वादी व प्रतिवादी सं0 1 सावंलाराम तथा तिवादी सं0 2 सन्दीप को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कये जाते है। । इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25-08-23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

...0 – 141/2023

...न : –

1. सुमित कुमार पुत्र सांवलाराम जाति सुथार निवासी छानीबड़ी त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. सांवलाराम पुत्र शिशपाल जाति सुथार निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा।
2. सन्दीप पुत्र सांवलाराम जाति सुथार निवासी छानीबड़ी त0 भादरा।
3. पूजा पुत्री सावंलाराम पत्नी अजयसिंह पुत्रवधु रामेश्वरलाल जाति सुथार निवासी छानीबड़ी हाल निवासी गुडिया त0 नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा। –

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री संदीप गोदारा वादी
श्री प्रभूराम गोदारा प्रतिवादी

निर्णय दिनांक: 25-08-23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 7 एएमएस के खाता ...0 123/109 की कुल 4.1770है0 प्रतिवादी सं0 1 सावंलाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में ...र्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद ...मे वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा ...हित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो ...तिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम ...र्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब ...ाया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने आपसी ...हमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 4 की ओर से जवाब पेश किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी सुमित द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। साक्ष्यवादी में जमाबंदी ...र्तमान प्रदर्श 1 सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 जमाबंदी पैतृक पदर्श 3 प्रदर्शित करवाये ...ये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील तिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी रोही मौजा 7 एएमएस के खाता सं0 123/109 की कुल 4.1770है0 प्रतिवादी सं0 1 वंलाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत तावेजों तथा प्रदर्श 3 से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ–साथ तिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 के वादी व प्रतिवादी 2 ता 3 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना प्रदर्श 2 में स्वीकार किया गया है। ाबिक राजीनामा प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं0 1–2 पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी ाबिक राजीनामा स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती की रोही मौजा 7 एएमएस के खाता सं0 123/109 की कुल 4.1770है0 प्रतिवादी सं0 सावंलाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 सावंलाराम की जाए वादी व प्रतिवादी सं0 1 सावंलाराम तथा प्रतिवादी सं0 2 सन्दीप को बहिस्सा ाबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। । इसी अनुसार राजस्व कार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त ने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड रूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25-08-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़